



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 11, 2013/माघ 22, 1934

No. 324]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 11, 2013/MAGHA 22, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2013

का.आ. 348(अ).—साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 490क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 के का.आ. 2684(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना को विखंडित करती है।

[फा. सं. 14011/41/2012-दिल्ली-II]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2013

S.O. 348(E).—In exercise of the powers conferred by Section 490A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2684(E), dated the 26th October, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 14011/41/2012-Delhi-II]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.